"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमाक–5045/वि.स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबधो के पालन मे महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (क्रमाक 8 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 8 सन् 2020)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) मे सशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष मे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे होगा ।

(3) यह राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 14 का संशोधन.

2. महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क. 23 सन् 2019) (जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप मे निर्दिष्ट है)मे, धारा 14 मे,–

(एक) उप–धारा (1) मे, शब्द ''कुलाधिपति द्वारा'' के पश्चात्, शब्द ''मत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुसार'' अन्तःस्थापित किया जाये,

(दो) उप–धारा (1) मे, प्रथम परन्तुक मे, शब्द ''कुलाधिपति द्वारा'' के पश्चात्, शब्द ''मत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुसार'' अन्तःस्थापित किया जाये, तथा

(तीन) उप–धारा (2) मे, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

''(दो) राज्य के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, और''

(चार) उप–धारा (5) मे, शब्द ''तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''तो कुलाधिपति, मत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कर सकेगा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 17 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम मे, धारा 17 मे,–

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

''(1) (एक) कुलपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक मत्रि–परिषद् उसकी सेवा लेना उचित समझे,

(दो) मत्रि–परिषद् के निर्णय के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति को किसी भी समय उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटा देवेंगे,

(तीन) मत्रि–परिषद, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त कर सकती है।''

(ख) उप–धारा (2) का लोप किया जाये।

(ग) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

''(3) उप–धारा (1) के अधीन आदेश मे विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा ।''

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत, महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) के प्रावधानो मे, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधानो का उपबध करने के प्रयोजन हेतु, सशोधन किया जा रहा है।

और यत, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यो को सुगम बनाने एव एकरुपता लाने को दृष्टिगत रखते हुये, महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) मे सशोधन करने का निर्णय लिया है ।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति की दृष्टिगत रखते हुये, महात्मा गाधी उद्यानिकी एव वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) मे सशोधन करना आवश्यक है ।

अत यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर
दिनाक– 25–03–2020

रविन्द्र चौबे
कृषि मत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क. 23 सन् 2019) की धारा 14 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (दो) तथा उपधारा (5) एवं धारा 17 की उप–धारा (1), उपधारा (2) तथा उपधारा (3) के संबंध में सुसंगत उद्धरण

धारा 14 की उपधारा (1), (2) के खण्ड (दो) तथा (5)

उपधारा (1): कुलपति की नियुक्ति, उप–धारा (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियो की तालिका (पैनल) मे से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा सीधे ही नियुक्त किया जायेगा

उपधारा (2) के खण्ड (दो):–कुलाधिपति, निम्नलिखित व्यक्तियो को मिलाकर समिति गठित करेगा, अर्थात्–

(एक) उन व्यक्तियो मे से, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से नियोजित न किये गये हो, बोर्ड द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति,

(दो) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, और

(तीन) राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति।

कुलाधिपति, इन तीन व्यक्तियो मे से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

उपधारा (5):–यदि समिति, उप–धारा (4) मे विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पैनल) प्रस्तुत करने मे असफल रहती है, तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

धारा 17 की उप–धारा (1) (2) (3):–

उप–धारा (1):–यदि, किसी भी समय, अभ्यावेदन किय जाने पर या अन्यथा तथा ऐसी जाच करने के पश्चात्, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि–

(एक) कुलपति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने मे चूक की है, या

(दो) कुलपति ने किसी ऐसी रीति मे कार्य किया है जो विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है, या

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापो का प्रबन्ध करने मे असमर्थ है,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नही हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, जिसमे कारण कथित किय जायेगे, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे।

उपधारा (2) उप–धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तक तक पारित नही किया जायेगा, जब तक कि उन आधारो, जिन पर ऐसी कार्रवाई करना प्रस्तावित है, की विशिष्टिया कुलपति को ससूचित नही कर दी जाती और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर उसे नही दे दिया जाता।

उपधारा (3):–उप–धारा (1) के अधीन आदेश मे विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति के सबध मे यह समझा जायेगा कि उसने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।

चन्द्र शेखर गगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.